

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी सुश्री अमिता मान (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 12 / 2023  
दायर दिनांक : 13 / 04 / 2023  
निर्णय दिनांक : 28 / 06 / 2023

**उनवान**

1. कालुसिंह पुत्र हमेरसिंह जाति राजपुत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
2. निर्भयसिंह पुत्र हमेरसिंह जाति राजपुत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
3. कमला कंबर पत्नी हमेरसिंह जाति राजपुत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
4. कैलाश कुंवर पुत्री तेजसिंह जाति राजपुत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
5. नानी कुंवर पत्नी स्व. तेजसिंह जाति राजपुत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
6. भैरुसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपुत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. कल्याणसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
2. दुर्गाकंवर पत्नी सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
3. प्रतापसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
4. भीमसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
5. महेंद्रसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
6. मोहनसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
7. बजेसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
8. चतरसिंह पिता पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
9. पप्पूसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
10. मनीहरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
11. सुरजकुंवर पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर
12. केसर पुत्री हरिराम जाति अहीर निवासी मुंगाना तहसील कपासन
13. चुन्नी पुत्री हरिराम जाति अहीर निवासी मुंगाना तहसील कपासन
14. डालचंद पुत्र हरिराम जाति अहीर निवासी मुंगाना तहसील कपासन
15. हीरालाल पुत्र हरिराम जाति अहीर निवासी मुंगाना तहसील कपासन

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात प्रार्थीगण रेकार्ड खतेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम रायपुरियाखुर्द तहसील भूपालसागर की आ.सं. 418 रकबा 0.04 है., आ.सं. 419 रकबा 0.23 है., आ.सं. 420 रकबा 0.03 है., आ.सं. 421 रकबा 0.09 है., आ.सं. 422 रकबा 0.01

423 रकबा 0.14 है., आ.सं. 424 रकबा 0.04 है., आ.सं. 425 रकबा 0.04 है., आ.सं.  
426 रकबा 0.30 है., आ.सं. 427 रकबा 0.23 है., आ.सं. 428 रकबा 0.06 है., आ.सं. 429 रकबा  
आ.सं. 430 रकबा 0.08 है., आ.सं. 806/424 रकबा 0.04 है. भूमि में उभयपक्षकारान  
के पुरखे समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं  
को पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल  
खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर  
पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे  
कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

*Amite*

(अमिता मान)RAS

सहायक कलेक्टर व  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
भूपालसागर